बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 344587 पटना, दिनांक:- 22/12/17

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नि0आ0पूर्ण)-103-102/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- निर्माणाधीन इंदिरा आवासों का वर्षवार विवरणी भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन संबंधी निर्णय के संसूचन के साथ ही जिलों को अवगत कराया गया था कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को अविलम्ब पूर्ण करा लिया जाय । निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये तथा लक्ष्य भी निर्धारित किये गये, किन्तु इसकी प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही ।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर दिनांक 11-12 दिसम्बर 2017 को आयोजित बैठक में निर्माणाधीन इंदिरा आवास को पूर्ण कराने की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया गया तथा अंतिम रूप से स्पष्ट निदेश दिया गया कि हर-हाल में चालू वित्तीय वर्ष (31.03.2018 तक) में सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण करा लिया जाय अन्यथा उक्त तिथि के बाद निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने का दायित्व राज्यों का होगा । साथ ही, यदि निर्माणाधीन इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के लिए कोई देय राशि का भुगतान किया जाना बाकी है तो उसे भी प्रतिवेदित किया जाय ताकि अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की जा सके ।

विदित है कि इंदिरा आवास योजना का स्वतंत्र रूप से कार्यान्वयन जनवरी 1996 से प्रारंभ किया गया था और विभिन्न वर्षों में इकाई दर लागत में परिवर्तन के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 तक इस योजना का कार्यान्वयन कराया गया । समय-समय पर जिलों से प्राप्त सूचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि वैसे लाभुकों जिन्हें प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया था उन्हें द्वितीय/अग्रेत्तर किस्त की राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उनका आवास अद्यतन निर्माणाधीन की स्थिति में है ।

यह भी विदित है कि इंदिरा आवास के निर्माणाधीन रहने से जहां उन लाभुकों के आवास की समस्या का समाधान नहीं हो सका है, वहीं इसपर व्यय की गई राशि की उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि प्रखण्डों एवं पंचायतों में संधारित अभिलेखों तथा भौतिक सत्यापन के आधार पर संलग्न विहित प्रपत्र में जनवरी 1996 से 2015-16 तक की अवधि में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिन लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया उनके आवास की पूर्णता/निर्माणाधीन के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 15.01.2018 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय । आपसे प्राप्त प्रतिवेदन के बाद यदि किसी जिला में निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने अथवा लाभुकों की सहायता राशि का भुगतान लंबित रहने का मामला प्रकाश में आयेगा तो उसकी पूरी जवाबदेही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त की होगी ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विहित प्रपत्र

पूर्ण/निर्माणाधीन इंदिरा आवास की विवरणी

वित्तीय वर्ष	भौतिक लक्ष्य	प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की सं0	द्वितीय/अग्रेत्तर किस्त प्राप्त लाभुकों की सं0	पूर्ण आवासों की सं0	निर्माणाधीन आवासों की सं0 (3-5)	लाभुकों को देय लंबित राशि (तत्कालीन इकाई दर पर)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1996-97							
1997-98							
.....							
.....							
2015-16							

विश्वासभाजन

21/12/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव